

To be published in the Gazette of India Extraordinary
Part-II, Section-3 (iii) Dated: 3rd March, 2015
To be republished in an Extraordinary issue of the
official Gazette of the State dated 3rd March, 2015

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001.

Dated : 3rd March, 2015
Phalgun 12, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CS-UT/3/2015 (1) :- WHEREAS, the seat of Smt. Manorama Dobriyal Sharma in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, has become vacant on 18th February, 2015 by the reason of her death, before the expiration of her term of office which was up to and including the 25th November, 2020; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand to elect, before 23rd March, 2015 (Monday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
- the 10th March, 2015 (Tuesday) , as the last date for making nominations;
 - the 11th March, 2015 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - the 13th March, 2015 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the 20th March, 2015 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - the 23rd March, 2015 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours** from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

(K. AJAYA KUMAR)
Principal Secretary to the
Election Commission of India

भारत का राजपत्र भाग-(ii) खण्ड-3(iii) के अन्वयानुसार
अंक में तारीख 3 मार्च 2015 का प्रकाशनार्थ
राज्य के शासकीय राजपत्र के अन्वयानुसार
अंक में 3 मार्च 2015 का प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 3 मार्च 2015

फाल्गुन 12, 1936(शक)

अधिसूचना

सं० 100/रा.स.-उत्तराखण्ड/3/2015 (1) :- यत् उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा का स्थान, उनकी पदावधि जो 25 नवम्बर, 2020 को सम्मिलित करत हुए, उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व मृत्यु होने के कारण 18 फरवरी को रिक्त हो गया है, और

यत् इस प्रकार हुई रिक्ति का भरन के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है,

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यो से यह अपेक्षा करता है कि वे 23 मार्च, 2015 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरन के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें,

(आ) उक्त निर्वाचन के सवध में -

- | | |
|---|---------------------------|
| (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख - | 10 मार्च, 2015 (मंगलवार) |
| (ख) नाम निर्देशन की सदीक्षा की तारीख - | 11 मार्च, 2015 (बुधवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताए वापस लेने की अन्तिम तारीख- | 13 मार्च, 2015 (शुक्रवार) |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और | 20 मार्च, 2015 (शुक्रवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा | 23 मार्च, 2015 (सोमवार) |

नियत करता है, और

(इ) 9:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक का समय, एस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो निर्वाचन के लिए उपयुक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

(के० अजय कुमार)

प्रधान नचिव

भारत निर्वाचन आयोग